डायन प्रथा प्रतिशेध अधिनियम से संबंधित कांडों के अनुसंधान से संबंधित चेक लिस्ट

SL No-	SUBJECT	DO'S	DON'T'S
1.	प्राथमिकी	1. घटना की सूचना मिलने पर तत्काल S.D Entry करते हुए Hue and Cry नोटिस नियत्रंण कक्ष के माध्यम से सभी संबंधित को भेजने की कार्रवाई किया जाना चाहिए। 2. जिन मामलों में अनवेषण या अनुसंधान का आधार अपर्याप्त हो, वैसे मामले में तत्काल सूचनादता या परिवादी को आ0ह0प्र0सं0–82 में यह बात तुरन्त अंकित कर सूचित कर दी जाय कि उक्त परिवाद का अन्वेषण नहीं किया जायेगा। 3. पीड़ित परिवार के सदस्यों को वि" वास में लेकर फर्दबयान/बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया जाय।	
2	घटना स्थल	1. घटना की सूचना मिलने पर सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करना की घटनास्थल की यथासंभव सीमा निर्धारण, घेराबंदी (Cordoning) कराया जाना चाहिए। वादी को सूचित करें कि घटनास्थल पर व्यक्तियों का गमनागमन न हो, ताकि उपलब्ध साक्ष्य के विनष्ट होने की संभावना क्षीण रहे। 2. घटनास्थल का फोटो विभिन्न कोणों से खींचना। 3. प्रदर्शो की मार्किंग करें। 4. घटनास्थल से भौतिक रूप से प्राप्त हुये सुराग (अंगुलांक, पदचिन्ह व अन्य वस्तु) को एकत्रित करना (Collection,Handling & Packing) एवं वि" ोशज्ञ से जांच कराना। 5. घटनास्थल की विस्तृत विवरण, चौहदी सहित अंकित करना एवं घटनास्थल को आरेखित (स्कैच) करना। 6. यदि घटनास्थल या उसके आस–पास सी0सी0 टी0वी0 लगा हो तो उसका फुटेज एकत्रित करना। 7. घटनास्थल पर उपलब्ध साक्ष्य से अपराधियों के विरूद्ध सूत्र हस्तगत करने हेतु श्वान दस्ता (Dog squad) की मदद लेना। 8. अपराधियों के द्वारा प्रयोग किये गये Modus	

		Operandi के संबंध में सूचना संग्रह करना। 9. Different Type Material जैसेः– अभिलेखों, Finger Prints, रक्त, बाल, Fibers, और मिट्टी, Paint इत्यादि जो अपराधियों के द्वारा घटनास्थ्ल पर छोड़ा गया हो एवं उपलब्ध हो उसे संग्रह करना। ताकि अनुसंधान में आगे बढ़ने का Vital Clues. का मिलने की संभावना हो। 10. संदिग्ध के Identification के संबंध में सूचना संग्रह करना। 11. प्राप्त सूचना के आलोक में अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान करें एवं घटनास्थल पर घटना से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्यों को संग्रह करना सुनिश्चित करेंगे। 12. गवाहों की जाँच (Witness's Testimony) जो साक्ष्य को सहायतार्थ एवं इन्कार करता हो, की सूचना संग्रह करना। 13. हत्या से संबंधित काण्डों का घटनास्थल का निरीक्षण गहराई एवं सुक्ष्मता पूर्वक करना चाहिए। 14. घटनास्थल पर अपराधी द्वारा छोडा गया पहचान जैसे चप्पल, जूता, कपडा, फुट–प्रिंट, फिंगर–प्रिंट की खोजबीन कर, भवान दस्ता तथा विधि विज्ञान प्रयोग" ाला से अनुसंधान में मदद लेनी चाहिए। 15. घटनास्थल का नक्" ा तैयार कर कांड दैनिकी में स्पश्ट रूप से अंकित करना चाहिए। 16. Substance, घटनास्थल की सरलता एवं घटनास्थल पर उपलब्ध समानों की पहचान कराये जाने के संबंध में सूचना संग्रह करना चाहिए। 17. Scene of Crime का Digital Steal Photography और Videography लेना चाहिए और संबंधित Images को Download या Transfferd गवाहों की उपस्थिति में कर सी0डी0 या डी0भी0डी0 में सुरक्षित रखना चाहिए। 18. प्राप्त सूचना के आलोक में अविलंब घटनास्थल की ओर प्रस्थान करें एवं घटनास्थल पर घटना से संबंधित तथ्य एवं साक्ष्यों को संग्रह करना सुनिश्चित करेंगे। 19. अनुसंधानकर्त्ता घटनास्थल का मानचित्र का खाका परिशिष्ट–77 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार बनायेगें। यदि अनुसंधानकर्त्ता घटनास्थल का मानचित्र स्वयं नहीं बना सके	

		तो किसी अमीन या अन्य सक्षम खाकाकार से मानचित्र या खाका तैयार करा सकते हैं। मानचित्र या खाका पर अनुसंधानकर्त्ता का हस्ताक्षर होगा। तदोपरांत आवश्यकता अनुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे। (पु0ह0नि0–176 (क)(ख)(ग)(घ) एवं (ड़) द्रष्टव्य)। A Sketch of the scene of occurrence shall invariably be prepared.	
3	जप्ती सूची	1 घटना स्थल का जप्ती सूची दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपना तला" ाी देते हुये विधिवत जप्तकर विधिवत जप्ती सूची बनाना। 2 अनुसंधानकर्त्ता जप्ती–सूची बनाते वक्त द0प्र0सं0 की धारा–102, 457 एवं 458 में दिये गये अनुदेशों का अवश्य अनुपालन करें। 3. द0प्र0सं0 की धारा–100 के तहत् कोई भी कोई भी पुलिस पदाधिकारी किसी भी स्थान/भवन में तला" ाी कर अभिलेख को जप्त कर सकते हैं जो 100 द0प्र0सं0 के तहत तथ्य है। 4. यदि search के दौरान स्थानीय गवाह उपलब्ध नहीं हो तो वैसा search अवैध नहीं होगा। (search is not vitiated) 5. द0प्र0सं0 की धारा–100(6)(7) में प्रावधान है कि जप्त सम्पति का प्राप्ति रसीद स्वामी को लेने का अधिकार है।	1. Search के दौरान यदि Cr. PC.की धारा 100 में दिए गए निर्दे" ाों का अनुपालन नहीं किया जाएगा, वैसा search अवैध होगा, वैसे search का विरोध किया जा सकता है।
4	गवाहों का परीक्षण	ग्रामीणों एंव प्रत्य गवाहों को वि" वास में लेकर बारी–बारी से अलग–अलग बयान लेकर अंकित करना।	
5	साक्ष्य संकलन घटना स्थल के अतिरिक्त	(ए) साक्ष्य संकलन के क्रम में मृतक की मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर निम्नलिखित सतर्कता बरतनी चाहिए। 1. मृतक के भाव की समीक्षा भरपुर प्रका" ा में किया जाना चाहिए। 2. मृतक के बदन की सुक्ष्मता से निरीक्षण करना चाहिए। 3. मृतक के भारीर पर पाये गए घाव/चोट का पुर्ण विवरण, जख्म का प्रकार का स्पश्ट उल्लेख होना चाहिए। 4. मृतक की मृत्यु अगर फायर आर्म्स से हुआ हो तो, उसके जख्म का एक्जिट उंड एवं गोली प्रवे" ा करने का जिक्र किया जाना चाहिए।	

		5. मृतक के भारीर पर पाये गए वस्त्र/पहचान चिन्ह का उल्लेख करना चाहिए ताकी इसके आधार पर मृतक की पहचान की जा सके तथा अगर मृतक का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका हो तो इसका फायदा अज्ञात मृतक के पहचान करने में किया जाना चाहिए। 6. अगर मृतक महिला हो तो उसके भारीर का निरीक्षण किसी महिला पुलिसकर्मी/महिला से कराना चाहिए तथा उनके भारीर पर पाये गए जख्मों के अतिरिक्त चिकित्सक से दुश्कर्म के बिन्दु पर जांच प्रतिवेदन की मांग की जानी चाहिए। (बी) साक्ष्य संकलन के क्रम में मृतक की पोस्टमार्टम कराने में निम्नलिखित सतर्कता बरतनी चाहिए। 1. अगर रात्री में पोस्टमार्टम कराना आव" यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट से आदे" ा प्राप्त कर कराना चाहिए। 2. वैसी महिला जिसकी भाादी के 07 साल के अन्दर संदेहास्पद मृत्यु हो तो उसके भाव का समीक्षा प्रतिवेदन न्यायिक दण्डाधिकारी की प्रतिनियक्ति कराकर कराना चाहिए। 3. पुलिस हिरासत में हुए मृत्यु का पोस्टमार्टम जिला दण्डाधिकारी से आदे" ा प्राप्त कर चिकित्सक की एक दल द्वारा कराया जाना चाहिए तथा इसका विडियोग्राफी भी कराया जाना चाहिए। इन्कवेस्ट भी मजिस्ट्रेट से हीं करानी चाहिए। (सी) साक्ष्य संकलन के क्रम में अज्ञात मृतक के बिन्दु पर निम्नलिखित सतर्कता बरतनी चाहिए। 1. अगर मृतक अज्ञात हो तो उसका फोटोग्राफी कराना चाहिए। 2. अज्ञात मृतक के फोटो को स्थानीय समाचार पत्र/टी0वी0 चैनल से सहयोग प्राप्त कर पहचान का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जनसम्पर्क विभाग का सहयोग भी लेना चाहिए। 3. मृतक के भारीर पर पाये गए वस्त्र/पहचान के चिन्ह के आधार पर मृतक के पहचान का प्रयास किया जाना	

		चाहिए। 4. मृतक के खतना के आधार पर भी अज्ञात मृतक के पहचान का प्रयास किया जाना चाहिए। 5. मृतक के भारीर पर पाये गए गोदना/उनक पहने वस्त्र में लगे स्टीकर का अवलोकन कर उसका पहचान करने का प्रयास करना चाहिए। 6. मृतक का डी0एन0ए0 प्रोफाईल तैयार कराकर सुरक्षित रखना चाहिए। ताकि संदिगध से मिलान किया जा सके। 7. अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध प्रतिवेदित कांडो में संदेह के आधार पर गिरफ्तार किये गए अभियुक्तों का टी0आई0 परेड पर रखकर पहचान कराया जाना चाहिए। 8. गिरफ्तार अभियुक्तों का जमानत अगर न्यायालय से नहीं हुआ हो तो 90 दिनों के अन्दर उनके विरूद्ध साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र समर्पित किया जाना चाहिए।	
6	वैज्ञानिक अनुसंधान	1. घटनास्थल पर अगर कोई फूट–प्रिंट/फिंगर–प्रिंट पाया जाय तो अविलम्ब मोबाईल फोरेंसिक लेब से सम्पर्क कर एक्सपर्ट के माध्यम से साक्ष्य को संग्रह कर यथा" ीर्घ एफ0एस0एल0 भेजते इस प्रतिवेदन की मांग की जानी चाहिए। 2. मृतक का बाल आदि वैसे प्रद" र्ा जिससे डी0एन0ए0 का पता चल सके, उसका डी0एन0ए0 प्रोफाईल तैयार कराकर अनुसंधान में मदद लेना चाहिए। 3. (आग्नेयास्त्र/विस्फोटक पदार्थ) के मामलों में विशेषज्ञ से मंतव्य प्राप्त करना चाहिए। 4. अपराधियों के संदिग्ध वस्तु, छुटे हुए समान जैसे–चप्पल, जूता, कपडा आदि से अपराधियों तक पहॅूचने में भवान दस्ता की मदद लेनी चाहिए। 5. मोबाईल के टावर लोके" ान/कॉल डिटेल्स का वि" लेशण कर कांड के अनुसंधान में मदद लेना चाहिए।	
7	स्वीकारोक्ति	1. स्वीकारोक्ति बयान स्वेच्छा पूर्वक दिये जाने के स्थिति में दर्ज किया जाना चाहिए। 2. स्वीकारोक्ति बयान दर्ज करने वाले पुलिस पदाधिकारी को उन बिन्दुओं पर अव" य ध्यान रखना चाहिए, जो भारतीय साक्ष्य	

		अधिनियम के तहत सुसंगत हो तथा घटना में खासकर Leading to Recovery पर भी ध्यान देना चाहिए। 3. स्वीकारोक्ति बयान देने वाले व्यक्तियों का बयान माननीय न्यायालय में धारा 164 द0प्र0स0 के अन्तर्गत अविलम्ब कराना चाहिए। 4. धारा–175, 178, 179, 180 और 228 भा0द0वि0 के अन्तर्गत किये गये अपराध के मामलों में जिसमें अभियुक्त का बयान एवं तथ्य लिपिवद्व कर लिए गये हों संबंधित दण्डाधिकारी को जिनके क्षेत्र का मामला हो 346 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कारवाई के लिए अग्रसारित कर देंगे। 5. गिरफ्तार अभियुक्त का स्वीकारोक्ति बयान विशेष शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र के अनुसार अभिलेखित किया जाना चाहिए। (To Prepare questionnaires for examining the accused)	
8	वारंट	1. माननीय न्यायालय से साक्ष्य के आधार पर साक्ष्यज्ञाप देकर वारंट प्राप्त करना चाहिए। 2. वारंटी अगर दूसरे थाना क्षेत्र का हो, तो संबंधित थाना प्रभारी के नाम से वारंट अभिलिखित होना चाहिए। 3. अगर प्रयास के बाद भी गिरफतार नहीं होता है तो एक सप्ताह में वारंट लौटाकर इ" तेहार निर्गत करने का अनुरोध करना चाहिए। 4. इ" तेहार प्राप्त कर, तामिला कर एक सप्ताह में लौटाते हुए 83 द0प्र0स0 कुर्की के लिए अनुरोध करना चाहिए। साथ हीं इस आ" ाय की खबर समाचार पत्र में भी प्रका" ित करवा देनी चाहिए। 5. द0प्र0सं0 की धारा–75 में गिरफतारी वारन्ट के संबंध में अधिसूचना पुलिस पदाधिकारी अथवा दूसरे कोई पदाधिकारी जो वारन्ट का निश्पादन कर रहे हों वे गिरफतार किये जाने वाले व्यक्ति को वारन्ट दिखायेगें। 6. दं0प्र0सं0 की धारा–76 में गिरफतार व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के न्यायालय में प्रस्तुत करने के संबंध में कोई पुलिस पदाधिकारी अथवा अन्य कोई दूसरे पदाधिकारी गिरफतार व्यक्ति को बिना बिलम्ब किये हुए संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत कर देगें (धारा–71	

		द0प्र0सं0) यात्रा के अवधि को छोड़कर 24 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए। गिरफतार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।	